पत्रांक–2ब०/ना०सु०–03–14/2017 97 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, एकमा बाजार।

पटना, दिनांक– 19/01/18

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में नगर पंचायत, एकमा बाजार क्षेत्रान्तर्गत नागरिक सुविधा मद से संबंधित ₹7.58500 लाख (सात लाख अंठावन हजार पाँच सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

जिला पदाधिकारी, सारण के पत्रांक– 590, दिनांक– 16.12.2017 द्वारा सूचित किया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा दिनांक– 16.02.2010 को विकास यात्रा के दौरान सारण जिला के एकमा प्रखंड के भरहोपुर टोले गंज स्थित जलाशय के सौंदर्यीकरण कराने के लिए किये गये घोषणा के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2010–11 में मनरेगा योजना के तहत् ₹29.54800 लाख की योजना का प्राक्कलन तैयार कर कार्य प्रारम्भ कराया गया था। उक्त योजना पर ₹19.41941 लाख का कार्य करा भी दिया गया था, परन्तु इसी बीच दिनांक– 17.10.2011 को नगर पंचायत, एकमा बाजार का गठन हो जाने एवं वर्णित क्षेत्र नगर पंचायत के अंतर्गत आने के कारण कार्य को स्थगित कर दिया गया। उक्त अधूरे कार्य को पूर्ण करने हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा डूडा, सारण के माध्यम से ₹7.58500 लाख (सात लाख अंठावन हजार पाँच सौ रु०) का प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी अनुमोदन के साथ स्वीकृति हेतु भेजा गया है।

2. वर्णित अधूरे कार्य को पूर्ण करने हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में नगर पंचायत, एकमा बाजार क्षेत्रान्तर्गत नागरिक सुविधा मद से विभागीय राज्यादेश सं०–.....96...... दिनांक–...19/01/18 के आलोक में ₹7.58500 लाख (सात लाख अंठावन हजार पाँच सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् आवंटित की जाती हैः–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	तकनीकी अनुमोदन की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	नगर पंचायत, एकमा बाजार	नगर पंचायत, एकमा बाजार क्षेत्रान्तर्गत भरहोपुर टोले गंज पर स्थित जलाशय के सौंदर्यीकरण योजना के अधूरे कार्य को पूर्ण करने के संबंध में।	7.58500	7.58500

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹7.58500 लाख (सात लाख अंठावन हजार पाँच सौ रु०) मात्र।

3. उक्त आवंटित ₹7.58500 लाख (सात लाख अंठावन हजार पाँच सौ रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, एकमा बाजार होगें** जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 428, दिनांक– 31.03.2017 एवं पत्रांक– 942, दिनांक– 01.09.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***राशि की निकासी संबंधित कोषागार से करने के उपरांत कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, एकमा बाजार द्वारा जिला शहरी विकास अभिकरण, (डूडा) सारण को हस्तांतरित किया जाएगा।*** **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

4. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एंव तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. उक्त आवंटित राशि ₹7.58500 लाख (सात लाख अंठावन हजार पाँच सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 बजट शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष– 193–नगर पंचायतों–अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष– 0104–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें–सहायक अनुदान विपत्र कोड– **48-2217031930104,** विषय शीर्ष– 0104.31.05 सहायक अनुदान– परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

6. उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि आवंटित की जाती है:–

(i) **योजना का कार्यान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), सारण द्वारा किया जायेगा।**

(ii) जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय–समय पर किया जाएगा।

(iii) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण–लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(iv) **योजना का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।**

(v) योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशो के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गयी है।

7. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। **योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।**

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, सारण/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), सारण/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

16.1.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/ना०सु०–03–14/2017 97 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–19/01/18

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, सारण/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), सारण/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.1.18

सरकार के विशेष सचिव।

पत्रांक–2ब०/ना०सु०–03–14/2017 96 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

**अनौपचारिक रूप से परामर्शित*

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक– 19/01/18

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में नगर पंचायत, एकमा बाजार क्षेत्रान्तर्गत नागरिक सुविधा मद से संबंधित ₹7.58500 लाख (सात लाख अंठावन हजार पाँच सौ रु०) मात्र की योजना की सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

जिला पदाधिकारी, सारण के पत्रांक– 590, दिनांक– 16.12.2017 द्वारा सूचित किया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा दिनांक– 16.02.2010 को विकास यात्रा के दौरान सारण जिला के एकमा प्रखंड के भरहोपुर टोले गंज स्थित जलाशय के सौंदर्यीकरण कराने के लिए किये गये घोषणा के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2010–11 में मनरेगा योजना के तहत् ₹29.54800 लाख की योजना का प्राक्कलन तैयार कर कार्य प्रारम्भ कराया गया था। उक्त योजना पर ₹19.41941 लाख का कार्य करा भी दिया गया था, परन्तु इसी बीच दिनांक– 17.10.2011 को नगर पंचायत, एकमा बाजार का गठन हो जाने एवं वर्णित क्षेत्र नगर पंचायत के अंतर्गत आने के कारण कार्य को स्थगित कर दिया गया। उक्त अधूरे कार्य को पूर्ण करने हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा डूडा, सारण के माध्यम से ₹7.58500 लाख (सात लाख अंठावन हजार पाँच सौ रु०) का प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी अनुमोदन के साथ स्वीकृति हेतु भेजा गया है।

2. वर्णित अधूरे कार्य को पूर्ण करने हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में नगर पंचायत, एकमा बाजार क्षेत्रान्तर्गत नागरिक सुविधा मद से ₹7.58500 लाख (सात लाख अंठावन हजार पाँच सौ रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृत की जाती हैः–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	तकनीकी अनुमोदन की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	नगर पंचायत, एकमा बाजार	नगर पंचायत, एकमा बाजार क्षेत्रान्तर्गत भरहोपुर टोले गंज पर स्थित जलाशय के सौंदर्यीकरण योजना के अधूरे कार्य को पूर्ण करने के संबंध में।	7.58500	7.58500

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹7.58500 लाख (सात लाख अंठावन हजार पाँच सौ रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत ₹7.58500 लाख (सात लाख अंठावन हजार पाँच सौ रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, एकमा बाजार होगें** जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 428, दिनांक– 31.03.2017 एवं पत्रांक– 942, दिनांक– 01.09.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***राशि की निकासी संबंधित कोषागार से करने के उपरांत कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, एकमा बाजार द्वारा जिला शहरी विकास अभिकरण, (डूडा) सारण को हस्तांतरित किया जाएगा।*** **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

4. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एंव तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. उक्त स्वीकृत राशि ₹7.58500 लाख (सात लाख अंठावन हजार पाँच सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 बजट शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष– 193–नगर पंचायतों–अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष– 0104–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें–सहायक अनुदान विपत्र कोड– **48-2217031930104,** विषय शीर्ष– 0104.31.05 सहायक अनुदान– परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

6. उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:–

(i) **योजना का कार्यान्वयन जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), सारण द्वारा किया जायेगा।**

(ii) जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय–समय पर किया जाएगा।

(iii) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण–लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(iv) **योजना का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।**

(v) योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशो के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गयी है।

7. **स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।**

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/ना०सु०–03–14/2017 के पृष्ठ सं०– 5 /टि० पर दिनांक– 12.1.18 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०– 6 /टि० पर दिनांक– 15.1.18 को प्राप्त है ।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. इसकी सूचना प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, सारण/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, एकमा बाजार/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), सारण/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

16.1.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/ना०सु०–03–14/2017 96 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 19/01/18

प्रतिलिपिः– प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, सारण/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, एकमा बाजार/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), सारण/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.1.18

सरकार के विशेष सचिव।